<u>एमएसएमई नीति</u>

1. प्रस्तावना

1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में एमएसएमई क्षेत्र ने निरंतर सुदृढ़ प्रदर्शन करते हुए वैश्विक आर्थिक मंदियों एवं संकटों के प्रभाव से देश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख विकास प्रेरक है। एमएसएमई ने राष्ट्रीय आय में अपने सतत योगदान के माध्यम से निरंतर गति दर्शाई है। एमएसएमई क्षेत्र का रोजगार सृजन, उद्यमों की स्थापना, विनिर्माण उत्पादन और निर्यात में उल्लेखनीय योगदान है। पिछले कुछ वर्षों में, यह क्षेत्र उद्यमिता के विकास एवं प्रोत्साहन का सशक्त मंच बनकर उभरा है तथा नवोन्मेषों की आधारशिला के रूप में कार्य कर रहा है, जिससे विविध विकास और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा मिला है। उद्यमियों द्वारा किए गए प्रयासों एवं व्यक्तिगत रचनात्मकता के परिणामस्वरूप, मूल उत्पादों के ऐसे नवीन संस्करण विकसित किए गए हैं, जो विशिष्ट हैं और उपयोगकर्ता अनुकूल हैं। यह उपलब्धियाँ एमएसएमई उद्यमियों की महत्त्वाकांक्षा, दूरदर्शिता एवं नवोन्मेषी दृष्टिकोण के कारण संभव हो सकती हैं।

1.2 भारत सरकार के लिए एमएसएमई क्षेत्र का समग्र विकास एक प्राथमिकता रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, समग्र गरीबी उन्मूलन तथा देश में समावेशी विकास प्राप्त करने के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरा है।

1.3 भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र देश की जीडीपी में लगभग ***<u>30%</u>*****,** विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में लगभग एक-तिहाई, तथा देश के कुल निर्यात में लगभग ***<u>46%</u>*** का महत्वपूर्ण योगदान देता है।

1.4 वर्तमान में एमएसएमई क्षेत्र का आर्थिक योगदान अनेक चुनौतियों के कारण सीमित हो गया है, जो इस क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित कर रही हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मुद्दे नीचे उल्लिखित हैं:
(क) नीतिगत एवं संस्थागत हस्तक्षेप
(ख) विकास की गति को तीव्र करना तथा औपचारिकता प्राप्त करना
(ग) अवसंरचनात्मक बाधाओं का समाधान
(घ) क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करना
(ङ) ऋण एवं जोखिम पूंजी तक पहुंच को सुगम बनाना
(च) हामीदारी मानकों एवं सुपुर्दगी को बेहतर करने हेतु तकनीकी हस्तक्षेप
(छ) विपणन सहबद्धता को सुदृढ़ करना एवं सार्वजनिक खरीद मंचों के साथ टाई-अप करना

1.5 डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना**,** प्रगतिशील विनियमन तथा नए बाजार बलों में एमएसएमई ऋण क्षेत्र को सशक्त बनाने की अपार क्षमता है। डिजिटल ऋण मूल्य श्रृंखला का उभरना एमएसएमई उधारकर्ताओं को तेजी से ऋण स्वीकृति तथा सुगमता प्रदान करेगा और नवीन डेटा एवं क्रेडिट स्कोरिंग एल्गोरिद्म के माध्यम से नए प्रकार के जोखिम-समायोजित ऋण उत्पाद प्रदान करेगा। यह अवसंरचना वृहद स्तर पर संचालन करने में सक्षम है, वित्तीय पहुँच में मौजूद बाधाओं को दूर कर सकती है, और एमएसएमई को वित्तीय संसाधनों तक पहुँच एवं व्यवसाय विस्तार की दिशा में सक्षम बना सकती है, जिससे वे अपनी पूर्ण संभावनाओं को प्राप्त कर सकें।

1.6 भारत सरकार ने एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 को इस उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है कि एमएसएमई उद्यमी अपने मूल्य एवं दक्षता में वृद्धि कर सके, जिससे वे प्रतिस्पर्धा में बने रह सकें, अपने व्यवसायिक कार्यक्षेत्र का विस्तार कर सकें तथा शीर्ष कार्य-निष्पादन करने वाले उद्यमों में सम्मिलित हो सकें। एमएसएमई क्षेत्र के दायरे को और व्यापक बनाने हेतु, भारत सरकार ने सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 2020 में एमएसएमई अधिनियम में संशोधन करते हुए एमएसएमई के वर्गीकरण में परिवर्तन किया। भविष्य में इस अधिनियम में किए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त संशोधन को जब भी अधिसूचित किया जाएगा, वह बैंक द्वारा परिपत्र के माध्यम से प्रसारित किए जाने के पश्चात प्रभावी माना जाएगा।

1.7 नीति का दायरा:

(क) यह नीति एमएसएमई से संबंधित सभी ऋण मुद्दों जैसे निधि आधारित सीमा, गैर-निधि आधारित सीमा और एमएसएमई ऋण वितरण के अन्य रूपों से संबंधित मामलों को संज्ञान में लेगी।

(ख) अधिकांश ऋण संबंधित पहलुओं को पहले ही ऋण नीति में कवर किया गया है, अत: दोहराव से बचने के लिए इन पहलुओं को (सिवाय कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के) एमएसएमई नीति में शामिल नहीं किया गया। इसलिए, एमएसएमई नीति को बैंक की ऋण नीति के साथ पढ़ना आवश्यक है।

(ग) यह नीति भारतीय रिज़र्व बैंक और अब तक जारी किए गए सभी वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में बनाई गई है।

(घ) इस नीति के तहत दिए गए दिशानिर्देश सभी देशी शाखाओं पर लागू होंगे।

2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006

भारत सरकार ने 16 जून 2006 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 को पारित किया, जिसे 2 अक्टूबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। यह अधिनियम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रचार और विकास को बढ़ावा देने, उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने और उनसे संबंधित या उससे जुड़े अन्य मामलों के समाधान हेतु बनाया गया है।

भारत सरकार ने 01 जुलाई, 2020 को एक गजट अधिसूचना के माध्यम से लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में संशोधन किया और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए कुछ मानदंडों को अधिसूचित किया। साथ ही, उद्यम पंजीकरण ज्ञापन दाखिल करने के लिए प्रारूपों और प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट किया।

तदनुसार, एमएसएमई की परिभाषा / वर्गीकरण में संशोधन किया गया है, जो आगामी पैरा में विस्तृत रूप से उल्लिखित है।

2.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा:

निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर एक उद्यम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात्:

क. **सूक्ष्म उद्यम:** किसी उद्यम को सूक्ष्म उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जब प्लांट एवं मशीनरी या उपकरणों में निवेश **दो करोड़ पचास लाख रुपये** से अधिक नहीं होगा और टर्नओवर **दस करोड़ रुपये** से अधिक नहीं होगा।

ख. **लघु उद्यम:** किसी उद्यम को लघु उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जब प्लांट एवं मशीनरी या उपकरणों में निवेश **पच्चीस करोड़ रुपये** से अधिक नहीं होगा और टर्नओवर **सौ करोड़ रुपये** से अधिक नहीं होगा।
ग. **मध्यम उद्यम:** किसी उद्यम को मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जब प्लांट एवं मशीनरी या उपकरणों में निवेश **एक सौ पच्चीस करोड़ रुपये** से अधिक नहीं होगा और टर्नओवर **पांच सौ करोड़ रुपये** से अधिक नहीं होगा।
घ. इसके अतिरिक्त, ऐसे एमएसएमई को किसी भी प्रकार से सामग्री का निर्माण या उत्पादन करने में संलग्न होना चाहिए, जो औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग से संबंधित हो, या किसी सेवा या सेवाओं के प्रदान या प्रतिपादन में संलग्न होना चाहिए। (नोट: एमएसएमई वर्गीकरण मानदंड संबंधित पी&एम/उपकरण में निवेश और टर्नओवर के संदर्भ में, जब भी एमओएमएसएमई/भारत सरकार द्वारा संशोधित किए जाएंगे, तो बैंक द्वारा अधिसूचना के बाद प्रभावी होंगे।)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी अधिसूचना आरबीआई/2021-2022/67एफआईडीडी.एमएसएमई& एनएफएस.बीसी.सं.13/06.02.31/2021-22 दिनांक 7 जुलाई, 2021 के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि खुदरा और थोक व्यापार को प्राथमिक क्षेत्र ऋण के सीमित उद्देश्य के लिए एमएसएमई के रूप में शामिल किया जाएगा और इन्हें उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर एनआइसी कोड 45, 46 और 47 तथा उनके खिलाफ उल्लिखित गतिविधियों के लिए पंजीकरण कराने की अनुमति दी जाएगी।

2.2 उपर्युक्त सभी उद्यमों को उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक है और उन्हें 'उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र' प्राप्त करना होगा। पीएसएल उद्देश्यों के लिए, बैंक उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) में दर्ज वर्गीकरण द्वारा मार्गदर्शित होंगे।

2.3 रिटेल और थोक व्यापार को प्राथमिक क्षेत्र ऋण के सीमित उद्देश्य हेतु एमएसएमई के रूप में शामिल किया गया है और इन्हें उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अनुमति दी गई है।
2.4 उद्यम सहायता पोर्टल (यूएपी) पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को जारी किया गया प्रमाणपत्र प्राथमिक क्षेत्र ऋण लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र के समान माना जाएगा। उद्यम सहायता प्रमाणपत्र प्राप्त आइएमई को पीएसएल वर्गीकरण के उद्देश्य से सूक्ष्म उद्यम के रूप में माना जाएगा।

3. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र वर्गीकरण
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों(एमएसएमई), उत्पादन, सेवा, थोक और रिटेल व्यापार इकाईयों को बैंकों द्वारा दिए गए सभी ऋण नए एमएसएमई वर्गीकरण के अनुसार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम के तहत वर्गीकृत किए जाने के पात्र होंगे, जैसा कि उपर्युक्त पैरा 2.1 में उल्लिखित है। (विस्तृत जानकारी के लिए बैंक की प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र नीति का संदर्भ लिया जाए।)

4. घरेलू वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण देने के लिए लक्ष्य / उप-लक्ष्य:

सूक्ष्म उद्यम:
समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोज़र के क्रेडिट समकक्ष राशि, जो भी अधिक हो, का 7.5 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यमों के लिए निर्धारित किया गया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत 40 प्रतिशत एएनबीसी या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोज़र के क्रेडिट समकक्ष राशि, जो भी अधिक हो, के कुल लक्ष्य की प्राप्ति में माना जाएगा, जैसा कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण पर लागू वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार है ।

एमएसएमई पर प्रधानमंत्री के कार्यबल की सिफारिशों के संदर्भ में, बैंकों को-

i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण में 20 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि,

ii) सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि,

iii) सूक्ष्म उद्यमों को पिछले वर्ष की इसी तिमाही में एमएसई क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण का 60 प्रतिशत प्राप्त करना होगा।

एमएसई क्षेत्र के भीतर सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने का लक्ष्य (यानी एमएसई क्षेत्र को कुल ऋण का 60 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यमों को दिया जाना चाहिए) की गणना 31 मार्च से पहले एमएसई क्षेत्र के बकाया ऋण के संदर्भ में की जाएगी।

5. एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने हेतु सामान्य दिशानिर्देश/अनुदेश

5.1 एमएसएमई उधारकर्ताओं को ऋण आवेदन की पावती जारी करना

शाखाओं को एमएसएमई उधारकर्ताओं से सभी ऋण आवेदनों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना होगा, जोकि मैनुअल रूप से या ऑनलाइन जमा किए गए हैं एवं यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र के साथ-साथ पावती रसीद पर एक चालू क्रम संख्या दर्ज की गई है।

बैंक ने ऋण आवेदनों के केंद्रीय पंजीकरण की एक प्रणाली और एमएसई ऋण आवेदनों की ई-ट्रेकिंग की एक प्रणाली स्थापित की है। इस मामले पर विस्तृत दिशानिर्देशों को एचओबीसी 112/54 दिनांक 11/07/2018 के माध्यम से प्रसारित किया गया है।

बैंक ने सीआरएम नेक्स्ट को एक लीड मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) के रूप में भी अपनाया है, जहां डिजिटल के साथ-साथ भौतिक स्रोतों से भी लीड ली जाती है। ग्राहक को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से प्रत्येक स्थिति पर स्वीकृति मिलेगी।

5. 2 आवेदनों के निपटान के लिए समय मानदंड

ऋण आवेदन की प्रक्रिया और निर्णय नीचे दी गई निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचित किए जाए। समय सीमा आवेदक द्वारा पूरी जानकारी/डेटा जमा करने की तारीख से शुरू होगी।

सीमाएँ	समय सीमा से अधिक नहीं
रु. 10 लाख तक	7 व्यावसायिक दिन।
रु. 10 लाख से 5 करोड़ तक	14 व्यावसायिक दिन।
रु. 5 करोड़ से अधिक	30 व्यावसायिक दिन।

ऋण अनुरोध की अस्वीकृतिः

i) ऋण अनुरोधों को सामान्य मंजूरी प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है, हालांकि, यदि आवेदक एससी/एसटी/कमजोर वर्ग श्रेणी से संबंधित है, तो ऋण आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार एसजेडएलसीसी को है।

5.3 संपार्श्विक

भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसई क्षेत्र में इकाइयों को दिए गए कुल 10 लाख रु. तक के ऋण जोखिम के मामले में संपार्श्विक प्रतिभूति स्वीकार नहीं करने का आदेश दिया है।

5.4 सम्मिश्र ऋण

एमएसई उद्यमियों को एकीकृत मंच के माध्यम से अपनी कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण आवश्यकता का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए शाखाओं द्वारा एक सम्मिश्र ऋण सीमा को मंजूरी दी जा सकती है।

5.5 निर्यात वित्तपोषण

निर्यातकों को उनके निर्यात आदेशों को स्वीकार करने तथा कुशलता से निष्पादित करने में सक्षम बनाने में निर्यात वित्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एमएसएमई लगभग 46% निर्यात में योगदान देता है और आपूर्ति शृंखला का अभिन्न अंग है। भारत में लघु क्षेत्र से निर्यात संवर्धन को उच्च प्राथमिकता दी गई है। निर्यात क्रेडिट जैसे ईपीसी/एफबीपी सुविधाएँ एक आदेश के प्रेषण/शिपमेंट से पहले और बाद में आवश्यक होती हैं जबकि पूर्व-शिपमेंट निर्यात वित्तपोषण समय पर उत्पादन, पैकिंग और आदेशों के शिपमेंट को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में आवश्यक है। पोस्ट-शिपमेंट वित्त निर्यातकों के व्यावसायिक संचालन को बनाए रखने में सुविधा प्रदान करता है, जबकि विदेशी खरीदारों से बकाया भुगतान प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा है। निर्यातकों के मामले में, क्रेडिट सुविधाएँ (जैसे पीसीएफसी), ग्राहकों के अनुरोध पर विदेशी मुद्रा में भी स्वीकृत की जा सकती हैं ताकि ग्राहकों को विदेशी मुद्रा परिवर्तन से पार पाने में मदद मिल सके।

5.6 उद्यम पंजीकरण

I) शाखाओं के लिए मौजूदा और नए उधारकर्ताओं के उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र/संख्या (उद्यम सहायक पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न उद्यम सहित) प्राप्त करना/कैप्चर करना अनिवार्य होगा। हालांकि, यह पीएमस्वनिधि योजना और टीआरईडीएस के तहत दिए गए ऋणों के लिए लागू नहीं है।

ii) खातों को उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र के आधार पर सूक्ष्म, छोटे और मध्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

5.7 एमएसएमई के लिए जेड प्रमाणन योजना में वित्तीय सहायता

जेड प्रमाणीकरण एमएसएमई के बीच शून्य दोष शून्य प्रभाव (जेड) प्रथाओं को बढ़ावा देने की परिकल्पना करता है। एमएसएमई मंत्रालय की जेड़ प्रमाणीकरण योजना भारतीय एमएसएमई की गुणवत्ता और पर्यावरण पहलुओं के संदर्भ में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से है। यह भारत सरकार की वित्तीय सहायता से एमएसएमई को सहायता और प्रमाणन प्रदान करने से संबंधित एक सतत सुधार और रेटिंग योजना है। एमएसएमई मंत्रालय ने इस योजना के लिए क्यूसीआई (भारतीय गुणवत्ता परिषद) को राष्ट्रीय निगरानी और कार्यान्वयन इकाई (एनएमआईयू) के रूप में नियुक्त किया है।

योजना के तहत, एमएसएमई का मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें संबंधित प्रमाणीकरण स्तर से सम्मानित किया जाता है जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है, जब वे उस स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जेड प्रमाणपत्र के तीन स्तर हैं, जैसे कि कांस्य, चांदी और सोना। ***हमारे एमएसएमई उधारकर्ताओं को जेड प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने या जेड व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जेड प्रमाणपत्र धारक को रियायतें प्रस्तावित की जा सकती हैं।***

हमारे आवेदन पत्रों और प्रस्ताव प्रारूप में, जेड प्रमाणन को सही तरीके से शामिल किया गया है और सभी शाखाओं को उधार लेने वालों को जेड प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

जेड प्रमाणन की पूरी जानकारी के लिए शाखाएँ https://www.zed.org.in/ पर जा सकती हैं।

6. कंपनियों द्वारा सूक्ष्म/लघु उद्यम इकाइयों को विलंबित भुगतानः

विलंबित भुगतान अधिनियम, अप्रैल 1993 (1998 में संशोधित) के तहत, कॉरपोरेट द्वारा छोटे पैमाने की इकाइयों और सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज, दंडात्मक प्रावधानों को शामिल किया गया है ताकि एमएसएमई इकाइयों को विलंबित भुगतानों का ध्यान रखा जा सके। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 के लागू होने के बाद, छोटे पैमाने की इकाइयों और सहायक औद्योगिक उपक्रमों के लिए 1998 के बकाया भुगतान अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों को इस प्रकार मजबूत किया गया है:

i) जब भी कोई आपूर्तिकर्ता किसी खरीदार को कोई वस्तु प्रदान करता है या सेवा प्रदान करता है, तो खरीदार को निम्नलिखित तरीके से भुगतान करना होगा:

क) उस तारीख से पहले या उसी दिन जो उसके (खरीदार) और आपूर्तिकर्ता के बीच लिखित में सहमति हुई है

या

ख) निर्धारित दिन से पहले जहाँ इस संबंध में कोई सहमति नहीं है।

हालाँकि, किसी भी मामले में, आपूर्तिकर्ता और खरीदार के बीच लिखित में सहमति की गई अवधि स्वीकार्यता की तारीख या अनुमानित स्वीकार्यता के दिन से 45 दिनों से अधिक नहीं होगी।

ii) यदि कोई खरीदार उपरोक्त (i) के तहत आपूर्तिकर्ता को राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो खरीदार उस राशि पर निर्धारित दिन से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर के तीन गुना पर आपूर्तिकर्ता को मासिक ब्याज के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

iii) आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए किसी भी सामान या प्रदान की गई सेवाओं हेतु, खरीदार उपर्युक्त (ii) में सूचित ब्याज का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

iv) किसी भी देय राशि से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में, विवाद में कोई भी पार्टी संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित सूक्ष्म और लघु उद्यम संजीवनी परिषद को संदर्भित कर सकती है।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को बड़े उधारकर्ताओं के लिए एमएसएमई से खरीदारी के संबंध में भुगतान की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए समग्र कार्यशील पूंजी सीमाओं के भीतर उप-सीमाएं निर्धारित करने की सूचना दी है।

शाखाओं को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के उपरोक्त प्रावधानों का ध्यान रखना चाहिए जब वे एसएमई उधारकर्ता द्वारा उनकी बहीखाता विवरण में दिखाई गई प्राप्तियों की जांच कर रहे हों, साथ ही वार्षिक तुलन पत्र की क्रॉस-चेकिंग करते समय यह सुनिश्चित करें कि ये प्राप्तियाँ संबंधित खरीदारों की लेखा-परीक्षित तुलन पत्र में दिखाई देती हैं। इसी कारण से, यदि किसी भी कोर्पोरेट या अन्य खरीदार (किसी एसएमई आपूर्तिकर्ता के उत्पाद) हमारे बैंक के उधारकर्ता होते हैं, तो शाखाओं को यह सत्यापित करना चाहिए कि आपूर्तिकर्ता (एसएमई) के लिए देनदारियाँ उनकी लेखा-परीक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई हैं।

7. संस्थागत रूपरेखा

7.1 प्रधान कार्यालय में एमएसएमई वर्टिकल:

प्रधान कार्यालय में एमएसएमई व्यापार पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित करने के लिए विशेष रूप से एक विभाग/वर्टिकल कार्यरत है। यह एमएसएमई संबंधी नीतियों और उत्पादों को तैयार करता हैं तथा सरकार द्वारा प्रत्यायोजित विभिन्न प्रकार के योजनाओं के कार्यान्वयन की जाँच करता है।

उक्त वर्टिकल को महाप्रबंधक – एमएसएमई द्वारा नेतृत्व किया जाता है, और वर्टिकल की विस्तृत भूमिका और उतरदायित्व निम्नलिखित हैं –

i) व्यवसाय विकास
- एमएसएमई व्यवसाय विकास के लिए नीतियों और रणनीतियों को तैयार करना
- बजट उपयोग – आवंटन एवं निगरानी
- नए एसएमई उत्पाद/प्रक्रियाएं/सेवाएं/मूल्य-निर्धारण/ग्राहकवर्ग इत्यादि विकसित करना। नए उत्पाद और तकनीकि के मामलों में अपने प्रतिस्पर्धा के गतिविधियों की निगरानी करना।
- एमएसएमई के विकास के लिए मार्केटिंग एवं प्रचार-प्रसार के पहल तथा अभियानों को शुरू करना।
- ब्याज दर और सेवा प्रभार संबंधी मामले।
- सरकार द्वारा प्रत्यायोजित योजना यथा मुद्रा/पीएमईजीपी/स्टैंड अप इंडिया/स्टार्ट अप इंडिया आदि का प्रबंधन।
- सीजीटीएमएसई/सीएलसीएसएस/सीजीएफएमयू/सीजीएसएस और इससे संबंधित कार्य।
- ओईएमएसएस, टाई अप/ चैनल वित्तपोषण, क्लस्टर योजना।
- टेक्सटाइल उद्योग (केंद्रीय/राज्य)/सीएलईएस के लिए टीयूएफ सब्सिडी योजना
- विभिन्न सरकारी एमएसएमई संगठन/ सरकारी एजेन्सीस और मंत्रालय/ केवीआईसी/ आईबीए/ आरबीआई इत्यादि के लिए मंचों/बैठकों की व्यवस्था करना

ii) कार्य-निष्पादन की निगरानी और समीक्षा
- मासिक शीर्षस्थ कार्यपालक समिति (टीईसी) द्वारा समीक्षा और फील्ड महाप्रबंधक कार्यालयों तथा आंचलिक प्रबंधकों के साथ मासिक समीक्षा बैठक।
- एसएमईसीसी/ एसएमईयूसी प्रधानों के साथ समग्र निगरानी/ कार्य-निष्पादन पर चर्चा।
- कभी-कभी शाखाओं, एसएमई सिटी सेंटर, अंचलों इत्यादि का निरीक्षण करना।
- ग्राहक सर्वेक्षण अभियान आयोजित करना।
- विनियामक रिपोर्ट का प्रबंधन और एसएमई ग्राहकों को ऋण देने के लिए विनियामक लक्ष्यों पर बैठक।
- संकलन/ एमआईएस।
- आरबीआई/शाखाओं/एफजीएमओ के सवालों का, संसदीय प्रश्न & स्पष्टीकरण का उत्तर देना तथा आईटीआई का जवाब देना।
- प्रशासनिक मामले, शिकायत/ शिकायत निवारण।

- आरबीआई/सिडबी आदि से संबंधित अनुपालन संबंधी मामले।

iii) प्रस्तावों का प्रसंस्करण :
   क) एमएसएमई विभाग प्रधान कार्यालय स्तरीय समितियों के प्रसंस्करण के अंदर अंचलों/एफजीएमओ से निकालने वाले विभिन्न प्रस्तावों और ज्ञापनों को भी तैयार करता है।
   ख) एमएसएमई खाते के सबी प्रस्तावों जो वर्गीकृत एमएसएमईडी अधिनियम (खाद्य और कृषि खाते को छोड़ कर) के तहत अनुपालित है उसे एसएमई विभाग में तैयार किया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रस्ताव से निपटने के दौरान दृष्टिकोण और नीतियों का संरेखण किया जा सके।

7.2 विशिष्ट एसएमई शाखाएँ

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशेष शाखा खोलने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा बैंकों को अपनी सामान्य शाखाओं को, जिनका 60% या उससे अधिक अग्रिम एमएसएमई क्षेत्र को दिया जाता है, विशेष एमएसएमई शाखाओं के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई है, ताकि उन्हें इस पूरे क्षेत्र को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए अधिक विशिष्ट एमएसएमई शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। एमएसएमई क्षेत्र में ऋण बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित नीति पैकेज के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक छोटे उद्यमों की अधिकता वाले पहचाने गए क्लस्टरों/केंद्रों में विशेष एमएसएमई शाखाएं सुनिश्चित करेंगे, ताकि उद्यमियों को बैंक ऋण की सुगमता हो सके और बैंक कर्मियों को अपेक्षित विशेषज्ञता विकसित करने के लिए सुसज्जित किया जा सके। यद्यपि उनकी मुख्य क्षमता का उपयोग एमएसएमई क्षेत्र को वित्त और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा, फिर भी उनके पास अन्य क्षेत्र/उधारकर्ताओं को अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए परिचालन का लचीलापन होगा।

बैंक ने देश भर में एमएसएमई कारोबार को बढ़ाने के लिए एसएमई केंद्रित शाखाएँ समर्पित की हैं। इन शाखाओं के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश एचओबीसी सं. 112/90 दिनांक 17.09.2018 के माध्यम से प्रसारित किए गए हैं। ये एसएमई केंद्रित शाखाएँ छोटे उद्यमों की प्रचुरता वाले पहचाने गए केंद्रों में हैं ताकि उद्यमियों को बैंक ऋण तक आसान पहुँच मिल सके और बैंक कर्मियों को अपेक्षित विशेषज्ञता विकसित करने में सक्षम बनाया जा सके।

7.3 एसएमईसीसी/यूसी

राष्ट्रीय बैंकिंग शाखाओं को नए ग्राहक अर्जन करने, मौजूदा एसएमई ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत करने तथा नए आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई करने में सहायता प्रदान करने के लिए "एसएमई सिटी सेंटर" के नाम से विशेष प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए गए हैं।

जहाँ भी एसएमईसीसी विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में शाखाओं से जुड़े हैं और उनके संचालन के क्षेत्र में और उसके आसपास उपलब्ध क्षमता के आधार पर, वहाँ अंचल की सिफारिशों पर, एसएमई शहरी केंद्र (एसएमईयूसी) खोले जाते हैं। एसएमईयूसी मौजूदा एसएमईसीसी की विस्तृत शाखा के रूप में कार्य करते हैं ताकि एमएसएमई वित्तपोषण को बढ़ाया जा सके जिसमें सभी सरकारी प्रायोजित योजनाएँ आदि शामिल हैं।

बैंक की एसएमईसीसी/एसएमईयूसी देश के हर कोने में मौजूद हैं।

एसएमईसीसी/एसएमईयूसी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश और संगठनात्मक संरचना एचओ-एसएमई विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की जाती है। ***ओआरएमसी परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों और एसएमईसीसी/यूसी के खुलने/बंद होने सहित संगठनात्मक संरचना में किसी भी संशोधन/परिवर्तन को मंजूरी दे सकता है।***

7.4 विशिष्ट एमएसई सेवा सेल

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार, हमारे बैंक ने अग्रणी जिलों में, जहाँ हम अग्रणी बैंक हैं जिलों में स्थित समूहों की सेवा के लिए 45 एमएसई सेवा सेल स्थापित किए हैं। कुल 45 विशेष एमएसई सेवा सेल पाँच राज्यों (मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र) को कवर करते हुए 135 क्लस्टरों में खोले गए हैं। एमएसई सेवा सेल का व्यापक कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

i) मुख्य रूप से अपने क्षेत्र में स्थित क्लस्टरों पर ध्यान केंद्रित करना और उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को समझना।
ii) सूक्ष्म क्षेत्र की इकाइयों से संबंधित आवेदनों को प्राथमिकता देना।
iii) उपयुक्त क्लस्टर की पहचान करना और क्लस्टर विशिष्ट ऋण योजनाएं तैयार करना;
iv) क्लस्टरों के विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए संबंधित एलडीएम को शामिल करने वाली आवधिक बैठकें आयोजित करना।
v) प्राप्त/स्वीकृत/अस्वीकृत आवेदनों का उचित रिकॉर्ड बनाए रखना।

7.5 राज्य स्तरीय अंतर संस्थागत समिति (एसएलआईआईसी):

रुग्ण सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के पुनर्वास के लिए समन्वय की समस्याओं से निपटने के लिए राज्यों में राज्य स्तरीय अंतर-संस्थागत समितियां गठित की गई हैं। हालांकि, एसएलआईआईसी फोरम को जारी रखने या न रखने का मामला संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ दिया गया है।

7.6 एमएसएमई पर अधिकार प्राप्त समितियां

एमएसएमई पर अधिकार प्राप्त समितियां आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशकों की अध्यक्षता में गठित की गई हैं, जिनमें एसएलबीसी संयोजक के प्रतिनिधि, राज्य में एमएसएमई वित्तपोषण में प्रमुख हिस्सेदारी रखने वाले दो बैंकों के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी, सिडबी क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के उद्योग निदेशक, राज्य में एमएसएमई संघों के एक या दो वरिष्ठ स्तर के प्रतिनिधि और एसएफसी/एसआईडीसी के एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल हैं।

7.7 एमएसएमई उधारकर्ताओं को डोर स्टेप उत्पाद सलाह और ऋण सुविधा सहायता

ईएएसई दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को एमएसएमई उधारकर्ताओं को डोर स्टेप उत्पाद सलाह और ऋण सुविधा सहायता प्रदान करने के लिए एक अलग टीम बनानी होगी। इस संबंध में, सभी एसएमईसीसी में एक अलग समर्पित बिक्री टीम तैनात की जानी चाहिए और एसएमईसीसी के अलावा अन्य स्थानों पर नोडल शाखाओं/एसएमई केंद्रित शाखाओं में से किसी एक में अलग मैन पावर स्टेशन को डोर स्टेप उत्पाद सलाह और ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए तैनात किया जा सकता है। आंतरिक टीम सभी प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए सीधे आंचलिक कार्यालय को और सभी कार्यात्मक मामलों के लिए एसएमईसीसी को रिपोर्ट करेगी।

बैंक अपनी नीति के अनुसार इस प्रयोजन के लिए किसी भी श्रम शक्ति एजेंसी/बीसी को नियुक्त कर सकता है और **जेडएलसीसी** ऐसी एजेंसी/बीसी की नियुक्ति को मंजूरी देने के लिए अधिकृत है।

8. क्लस्टर-आधारित ऋण दृष्टिकोण

एमएसएमई इकाइयों के वित्तपोषण के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण से लेन-देन लागत में कमी आने और जोखिम कम होने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए उचित पैमाना उपलब्ध होने की उम्मीद है। *क्लस्टर आधारित वित्त के लिए नवीनतम परिपत्र एचओबीसी संख्या 117/124 दिनांक 09.08.2023 के माध्यम से जारी किया गया है।*

9. क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) / ए-टफ्स / स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (एससीएलसीएसएस)

क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) में प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करना है, जिसमें उन्हें योजना के तहत अनुमोदित 51 उप-क्षेत्रों या उत्पादों में अच्छी तरह से स्थापित और बेहतर प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए संस्थागत वित्त पर 15 प्रतिशत (अधिकतम 15.00 लाख रुपये तक सीमित) की पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना के तहत सब्सिडी की गणना के लिए पात्र ऋण की अधिकतम सीमा 100.00 लाख रुपये है।

योजना का लक्ष्य लघु खादी, ग्रामीण और कॉयर औद्योगिक इकाइयों सहित सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को 15% अग्रिम पूंजी सब्सिडी प्रदान करके प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करना है। स्वीकार्य सब्सिडी की गणना लाभार्थी इकाई को वितरित अवधि ऋण के बजाय संयंत्र और मशीनरी की खरीद मूल्य के संदर्भ में की जाएगी।

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में यह योजना संशोधन के अधीन है। दिनांक 23.12.2019 को एचओबीसी 113/171 के माध्यम से विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। एमएसएमई मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार समय-समय पर योजनाओं की वैधता की सलाह देती है। योजनाओं की प्रयोजनीयता उसी के आधार पर होगी।

ए-टफ्स पर दिशा-निर्देश एचओबीसी 110/207 दिनांक 03.02.2017 के माध्यम से प्रसारित किए गए हैं। एमएसएमई मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार समय-समय पर योजनाओं की वैधता की सलाह देती है।

एससीएलसीएसएस

नए उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देने और सार्वजनिक खरीद में भागीदारी के लिए उनकी मौजूदा क्षमता को अपग्रेड करने के लिए 2017 में राष्ट्रीय एससी/एसटी हब (एनएसएसएच) के तहत विशेष ऋण लिंक्ड पूंजी सब्सिडी योजना शुरू की गई थी। एससीएलसीएसएस के तहत, संस्थागत ऋण के माध्यम से संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के एससी/एसटी एमएसई को 25% पूंजी सब्सिडी का प्रावधान है। विस्तृत दिशानिर्देश एचओबीसी 115/272 दिनांक 03.01.2022 के अनुसार हैं।

10. ऋण मूल्यांकन

<u>ऋण मूल्यांकन की प्रक्रिया बैंक की बोर्ड अनुमोदित ऋण नीति के तहत दिए गए मानदंडों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ समय-समय पर जारी किए गए अन्य मैनुअल और दिशानिर्देशों के अनुसार अपनाई जाएगी। हालाँकि, उत्पाद स्तर के अलग-अलग मूल्यांकन मानदंडों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और कार्यान्वित किया जा सकता है।</u>

11. सीबीआर/सीबीएस प्रयोजनीयता

11.1 ऋण सूचना रिपोर्ट

हमारे बैंक के पास व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए ऋण सूचना ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड (सिबिल), इक्विफैक्स, एक्सपेरियन और सीआरआईएफ हाईमार्क के साथ सदस्यता और सेवा समझौता है और वाणिज्यिक (संस्था) उधारकर्ताओं के मामले में सिबिल और इक्विफैक्स के साथ। आवेदक के बारे में जानकारीपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रारंभ में सीआईआर तैयार किया जाना चाहिए। अतिदेय और अवमानक आस्तियाँ दिखाने वाली प्रतिकूल ऋण सूचना रिपोर्ट वाले आवेदनों पर वित्तपोषण के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए और **इस संबंध में बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों (ऋण नीति/ सीबीएस-सीबीआर नीति) का पालन किया जाए।**

हालाँकि, ऋण सूचना रिपोर्ट में कुछ छोटी क्रेडिट कार्ड/ऋण राशियाँ बट्टे खाते में डाली गई या बकाया दिखाई दे सकती हैं। ऐसे मामलों में मंजूरी देने वाले अधिकारी को विवरणों का सत्यापन करना चाहिए और बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए।

11.2 वाणिज्यिक ब्यूरो रैंक / उपभोक्ता ब्यूरो रिपोर्ट:

सीबीआर वाणिज्यिक/व्यावसायिक संस्थाओं के लिए ऋण चूक प्रेडिक्टर मॉडल है। यह संस्थाओं के ऋण व्यवहार में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और एक वर्ष की सीमा में चूक करने की संभावना का पूर्वानुमान लगाता है, जिससे मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को अच्छी तरह से सूचित ऋण निर्णय लेने में मदद मिलती है।

वाणिज्यिक (संस्था) उधारकर्ताओं हेतु: सभी वाणिज्यिक/व्यावसायिक संस्था उधारकर्ताओं के ऋण की असीमित सीमा पर सीबीआर लागू है।

यह 1 से 10 के पैमाने पर उधार के जोखिम को मापता है और पूर्वानुमान करता है, वाणिज्यिक रैंक 1 में चूक की सबसे कम संभावना होती है और वाणिज्यिक रैंक 10 में चूक की सबसे अधिक संभावना होती है।

सीबीआर का उपयोग केवल आवेदकों की स्क्रीनिंग के लिए किया जाएगा तथा किसी भी तरह से इसका उपयोग बैंक की ऋण रेटिंग प्रक्रिया के विकल्प के रूप में नहीं किया जा सकता है।

व्यक्तिगत उधारकर्ताओं हेतु: व्यक्तिगत उपभोक्ता ब्यूरो स्कोर को गो/नो-गो मानदंड के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट किसी भी सीआईसी यानी टीयू-सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपेरियन और सीआरआईएफ हाईमार्क से प्राप्त की जानी चाहिए।

वाणिज्यिक ब्यूरो रैंक/उपभोक्ता ब्यूरो रिपोर्ट के उपयोग और प्रयोजनीयता का विवरण इस नीति के भाग-सी के अनुसार है।

11.3 मुख्य महाप्रबंधक (आरएएम)/महाप्रबंधक (एमएसएमई) को अन्य सीआईसी के साथ टाई-अप व्यवस्था को मंजूरी देने तथा रिपोर्ट, स्क्रब, एनालिटिक्स, स्मार्ट लीड्स आदि जैसी सेवाओं के लिए मूल्य/प्रभार को अंतिम रूप देने के लिए अधिकृत किया गया है।

12. ऋण अवधि

एमएसएमई क्षेत्र हेतु टर्म लोन एक्सपोजर (डब्ल्यूसीटीएल और डब्ल्यूसीडीएल सहित) आम तौर पर 7-10 साल की परिपक्वता अवधि के लिए होगा, जबकि कार्यशील पूंजी मांग पर होगी। हालांकि, एमएसएमई और सह-उधार के विभिन्न विशिष्ट उत्पादों के तहत वित्तपोषित मीयादी ऋण की चुकौती अवधि 15 साल तक हो सकती है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के मामले में मीयादी ऋण के लिए अधिकतम चुकौती अवधि प्रारंभिक अधिस्थगन अवधि सहित 15 वर्ष और गैर-बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के मामले में प्रारंभिक अधिस्थगन अवधि सहित 10 वर्ष होगी।

13. ऋण मूल्यांकन

बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों और दिशा-निर्देशों के साथ-साथ समय-समय पर जारी किए अन्य मैनुअल और दिशा-निर्देशों के अनुसार। हालांकि, उत्पाद स्तर पर अलग-अलग मूल्यांकन पद्धति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और कार्यान्वित किया जा सकता है।

14. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को उनके 'लाइफ साईकिल' के दौरान समय पर एवं पर्याप्त ऋण प्रवाह की सुविधा प्रदान करने हेतु ऋण प्रवाह को सुव्यवस्थित करना।

सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को समय पर, लचीले एवं पर्याप्त ऋण प्रवाह उपलब्ध कराने के लिए, हम भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित उपायों पर विचार कर सकते हैं,

14.1 स्टैंडबाय ऋण-सुविधा की स्वीकृति

परियोजना ऋणों की स्वीकृति के समय, स्वीकृति प्राधिकारी योग्यता के आधार पर, यदि आवश्यक हो तो अप्रत्याशित परियोजना लागत वृद्धि को निधि देने हेतु 'स्टैंडबाय ऋण सुविधा' को मंजूरी दे सकता है। ऐसी 'स्टैंडबाय ऋण सुविधाएं' प्रारंभिक वित्तीय पूर्णता के समय स्वीकृत की जाती हैं, लेकिन केवल तभी वितरित की जाती हैं जब लागत में वृद्धि होती है। इस तरह का स्टैंडबाय ऋण कुल परियोजना लागत के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ-साथ, स्वीकृति प्राधिकारी के विवेक पर, इस तरह की "स्टैंडबाय ऋण सुविधा" आवधिक पूंजीगत व्यय को निधि देने के लिए भी स्वीकृत की जा सकती है। इस तरह की "स्टैंडबाय ऋण सुविधा" का उद्देश्य, अन्य बातों के अलावा, तेजी से ऋण प्रदान करना होगा ताकि पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण में देरी न हो और जल्द से जल्द वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो सके।

14.2 नियमित कार्यशील पूंजी सीमाओं की मध्यावधि समीक्षा, जहां शाखाएं इस बात से विश्वस्त हैं कि एमएसई उधारकर्ताओं की मांग पैटर्न में परिवर्तन के लिए पिछले वर्ष की वास्तविक बिक्री के आधार पर एमएसएमई की मौजूदा ऋण सीमा को हर साल बढ़ाने की आवश्यकता है।

14.3 नियमित कार्यशील पूंजी सीमा के साथ अलग से अतिरिक्त सीमा की स्वीकृति

प्रारंभिक स्वीकृति के समय या समीक्षा के समय, स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी कार्यशील पूंजी सीमा के 10% की दर से अतिरिक्त सीमा को स्टैंडबाय कार्यशील पूंजी के रूप में मंजूरी दे सकता है, जिसका उपयोग उधारकर्ता द्वारा समीक्षा अवधि के दौरान एक बार अधिकतम 90 दिनों के लिए किया जा सकता है, ताकि उधारकर्ता की कुछ तत्काल आवश्यकताओं/आकस्मिक जरूरतों को पूरा किया जा सके।

15. नियमित कार्यशील पूंजी सीमाओं की समीक्षा

वर्तमान में बैंक समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरणों के आधार पर वर्ष में कम से कम एक बार कार्यशील पूंजी सीमा की समीक्षा करते हैं। हालांकि, एमएसई इकाइयों के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण आमतौर पर वित्तीय वर्ष के समापन के बाद कुछ समय के अंतराल के साथ उपलब्ध होंगे। ऐसे मामलों में मध्यावधि समीक्षा करने हेतु संस्वीकृति प्राधिकारी और कार्यशील पूंजी सीमा का मूल्यांकन पिछली समीक्षा के बाद एमएसई के बिक्री कार्य-निष्पादन के आधार पर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रतीक्षा के बिना किया जा सकता है। हालांकि, ऐसी मध्यावधि समीक्षाओं को लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर आगामी नियमित समीक्षा के दौरान पुनः सत्यापित किया जाएगा।

सीमाओं की समीक्षा के लिए, शाखा को समीक्षा की नियत तिथि से 15 दिन पहले संबंधित संस्वीकृति प्राधिकारी को सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

(नोटः 10 लाख रुपये से 5.00 करोड़ रुपये तक के हरित समीक्षा प्रारूप को सीआरएमसी ने अपनी बैठक दिनांकः 08/06/2023 में अनुमोदित कर दिया है)

16. अनुपात

बैंक की बोर्ड अनुमोदित ऋण नीति के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार। (वित्तीय अनुपातों हेतु प्रयोजनीयता और स्वीकृत मानदंड के लिए अलग से उत्पाद स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है)

17. ऋण अधिग्रहण

प्रत्यक्ष/प्राथमिक ऋण अधिग्रहण के अलावा, हम अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अग्रिम खातों का अधिग्रहण करने पर भी विचार कर सकते हैं। एमएसएमई क्षेत्र को वित्तपोषण के लिए इस संबंध में बैंक के अनुमोदित अधिग्रहण दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उत्पाद स्तर पर विशिष्ट अधिग्रहण मानदंड/दिशानिर्देश अनुमोदित किए जा सकते हैं।

18. ऋण का हस्तांतरण (चूक के रूप से नहीं)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 24 सितंबर, 2021 के परिपत्र डीओआर.एसटीआर.आरईसी.52/21.04.048/ 2021-22 (मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण जोखिमों का हस्तांतरण) निदेश, 2021) के माध्यम से ऋण परिसंपत्तियों की बिक्री या हस्तांतरण पर व्यापक रूपरेखा जारी की है और समय-समय पर इसे अद्यतन किया है, जिसका उद्देश्य ऋणों के लिए द्वितीयक बाज़ार को मज़बूत करना और उचित ऋण-जोखिम मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करना है। हमारा बैंक प्रतिभूतिकरण, जोखिम भागीदारी और प्रत्यक्ष समनुदेशन बाज़ार में सक्रिय

प्रतिभागियों में से एक रहा है। नए व्यापक ढांचे के आलोक में, बैंक ने ऋण जोखिमों के हस्तांतरण (चूक के रूप से नहीं) हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति जारी की है।

19. क्रेडिट रेटिंग मॉडल

सरकार/आरबीआई ने सलाह दी है कि बैंक एसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों की लागत को तर्कसंगत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती हैं। इसके लिए उन्हें एक पारदर्शी रेटिंग प्रणाली अपनानी चाहिए जिसमें ऋण की लागत को उद्यम की क्रेडिट रेटिंग से जोड़ा जाना चाहिए। बैंक की अपनी आंतरिक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली है और इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। रेटिंग और प्रत्यायोजन हेतु बैंक द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देश समय-समय पर जारी किए गए हैं। एमएसएमई ऋण खातों के लिए उन दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। उत्पाद स्तर के रेटिंग मॉडल जैसे स्कोर-कार्ड आधारित, वैकल्पिक मूल्यांकन विधियां (डिजिटल फुटप्रिंट आधार) या सीआरएमसी/ओआरएमसी (सक्षम प्राधिकारी) द्वारा अनुमोदित कोई अन्य मॉडल भी लागू किया जा सकता है।

20. बाह्य रेटिंग

20.1 बाह्य एसएमई रेटिंग

लघु एवं मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा सूचीबद्ध मान्यता प्राप्त बाहरी रेटिंग एजेंसियों से अपनी इकाइयों का मूल्यांकन करवाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, जैसे कि एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड (एक्यूइट), क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (केयर), इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग्स), आईसीआरए लिमिटेड, और इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड या आरबीआई द्वारा अनुमोदित कोई अन्य एजेंसी, बैंक द्वारा उच्चतम और द्वितीय उच्चतम रेटिंग प्राप्त करने वाली इकाइयों के संबंध में लागू ब्याज दर में 0.50% की सीमा तक और तृतीय उच्चतम रेटिंग दिखाने वाली इकाइयों के संबंध में 0.25% की सीमा तक रियायत की पेशकश की जाती है।

20.2 बाह्य क्रेडिट रेटिंग

सभी एमएसएमई पात्र उधारकर्ताओं की बाह्य क्रेडिट रेटिंग समय-समय पर विषय-वस्तु पर जारी बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त की जानी है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बाह्य क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने हेतु विभिन्न बाह्य रेटिंग एजेंसियों को मंजूरी दी गई है, जो निम्नानुसार हैं:

एक्यूइट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड (एक्यूइट), क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (केयर), इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग्स), आईसीआरए लिमिटेड और इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड।

बैंकिंग प्रणाली से 50.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक के ऋण जोखिम वाले सभी पात्र खातों (टीडीआर/प्रतिभूतियों की गिरवी, योजनाबद्ध उधार के विरुद्ध ऋण को छोड़कर) में बाह्य क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करना आवश्यक है।

रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई क्रेडिट रेटिंग के आधार पर उचित जोखिम भार निर्धारित किया जाता है। बेसल II समझौते के अनुसार, पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाहरी क्रेडिट रेटिंग के आधार पर ऋण खाते की जोखिम भारिता निर्धारित की जाती है। बेसल की शर्तों के अनुपालन के लिए बैंक ने इसे अनिवार्य बना दिया है। उधारकर्ता द्वारा अनुपालन न करने की स्थिति में हमारे सी एंड आईसी विभाग द्वारा जारी परिपत्र 2013-14/116 दिनांक 13.08.2013 के अनुसार दंडात्मक ब्याज दर वसूलने का प्रावधान है। ऐसी रेटिंग को इसकी समाप्ति पर सत्यापित/समीक्षित रखा जाना चाहिए।

20.3 क्रेडिट मूल्यांकन और जोखिम भार:

क्रेडिट रेटिंग	दीर्घावधि रेटिंग/अल्पावधि रेटिंग					
	एमए/ए1+	एए/ए1	ए/ए2	बीबीबी/ए3	बी बी बी सी डी/ए4, डी	अनरेटेड
जोखिम भार	20%	30%	50%	100%	150%	100%

21.मूल्य निर्धारण

एमएसएमई खातों के लिए मूल्य निर्धारण समय-समय पर जारी बैंक की स्वीकृत ब्याज दर नीति और सेवा प्रभार के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा। सभी फ्लोटिंग ब्याज दर वाले एमएसएमई खातों को आरबीएलआर से जोड़ा जाता है। उत्पाद/योजना स्तर की ब्याज दर और शुल्क में रियायत को उत्पात अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

22. एक्सपोजर मानदंड

i) बैंक के मौजुदा एक्सपोजर मानदंड लागू होंगे। तदनुसार, बैंक का एक्सपोजर निम्न से अधिक नहीं होना चाहिएः

एकल प्रतिपक्षः किसी एकल प्रतिपक्ष के लिए बैंक के सभी एक्सपोजर मूल्यों का योग बैंक के उपलब्ध पात्र पूंजी आधार के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। अपवादात्मक मामलों में, बोर्ड हमारे बैंक के साथ उधारकर्ता खातों के संचालन, संपार्श्विक सुरक्षा की उपलब्धता, आंतरिक रेटिंग, जोखिम भार आदि को ध्यान में रखते हुए

योग्यता के आधार पर बैंक के उपलब्ध पात्र पूंजी आधार के अतिरिक्त 5 प्रतिशत एक्सपोजर को एकल प्रतिपक्ष की अनुमति दे सकता है।

संबद्ध प्रतिपक्षों के समूह: संबद्ध प्रतिपक्षों के समूह हेतु बैंक के सभी जोखिम मूल्यों का योग बैंक के उपलब्ध पात्र पूंजी आधार के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए अर्थात सीमा का निर्वाह दिन के अंत के आधार पर किया जाना चाहिए।

ii) उद्योगवार एक्सपोजर: सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के एक भाग के रूप में और विभिन्न क्षेत्रों/पोर्टफोलियो में ऋण के समग्र प्रसार के लिए उद्योग-विशिष्ट जोखिम सीमा तय की गई है। उद्योग-विशिष्ट एक्सपोजर सीमाएँ समय-समय पर उद्योग-विशिष्ट नीति के साथ एचओ-आरएमडी द्वारा सूचित की जाती हैं।

23. मार्जिन मानदंड

हमारे बैंक की ऋण नीति में निर्दिष्ट मार्जिन मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। एमएसएमई खंड के तहत ऋण देने के लिए शाखा/अंचल को इसका पालन करना होगा।

आम तौर पर निधि आधारित सुविधा के लिए यह 15% से 50% के बीच होगा और गैर-निधि आधारित सुविधा के लिए न्यूनतम 20% होगा। हालांकि, मंजूरी देने वाला अधिकारी प्रस्ताव में औचित्य/न्यूनीकरण/अंतर्निहित लेनदेन की प्रकृति/अन्य प्रतिभूति को सामने लाने के बाद चयनित मामलों में 'शून्य' मार्जिन सहित कम मार्जिन पर विचार कर सकता है। एलसी के तहत बिल डिस्काउंटिंग, दूसरे बैंक द्वारा सह-स्वीकृत बिल की डिस्काउंटिंग आदि जैसी स्व-परिसमापनशील सुविधाओं के लिए भी शून्य मार्जिन पर विचार किया जा सकता है।

24. सीजीटीएमएसई/गारंटी योजनाएं

एमएसएमई ऋण को योजना दिशानिर्देशों के अनुसार सीजीटीएमएसई या अन्य गारंटी योजनाओं के तहत कवर किया जा सकता है। योजना दिशानिर्देश एमएसएमई गारंटी योजनाओं के मास्टर परिपत्र के तहत दिए गए हैं।

25. ओइएम टाई-अपः

25.1 एसएमई वित्तपोषण हेतु टाई-अप

एमएसई क्षेत्र, विशेष रूप से वाणिज्यिक वाहन और उपकरण खंड में वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के साथ रणनीतिक टाई-अप हेतु सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

25.2 बैंक ने टाई-अप व्यवस्था के अंतर्गत ओइएम द्वारा निर्मित वाहनों/उपकरणों के वित्तपोषण हेतु संशोधित वाणिज्यिक वाहन और उपकरण वित्त योजनाएँ शुरू की हैं। हालाँकि, टाई-अप व्यवस्था के बाहर आने वाले

वाणिज्यिक वाहनों के वित्तपोषण के लिए ऋण अनुरोध पर भी समय-समय पर सूचित परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए हमारी नियमित वाणिज्यिक वाहन और उपकरण वित्त योजनाओं के अंतर्गत शाखाओं द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

25.3 सीआरएमसी को ओईएम के साथ टाई-अप के लिए तैयार की गई विशेष योजनाओं में किसी भी संशोधन / परिवर्तन को मंजूरी देने हेतु अधिकृत किया गया है, और सीजीएम / जीएम (एमएसएमई) को किसी भी प्रतिष्ठित ओईएम के साथ टाई-अप की व्यवस्था को मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया गया है।

25.4 उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक (एचओ-एसएमई)/महाप्रबंधक (एफजीएमओ) ओईएम के साथ नए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने/नवीनीकरण करने के लिए अधिकृत हैं।

किसी भी नए टाई-अप की सूचना सभी शाखाओं को परिपत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

26 एमएसएमई निगरानी

26.1 एमएसई क्षेत्र में ऋण वृद्धि की निगरानी हेतु संरचित तंत्र

एमएसई क्षेत्र में ऋण वृद्धि की निगरानी के लिए संरचित तंत्र एमएसई क्षेत्र में ऋण वृद्धि में मंदी से उत्पन्न मामलों को देखते हुए, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के नेतृत्व वाली एक उप-समिति (अध्यक्ष: श्री के.आर. कामथ) का गठन किया गया था, जो इस क्षेत्र से संबंधित ऋण संबंधी मुद्दों के संपूर्ण दायरे की निगरानी के लिए बैंकों द्वारा स्थापित किए जाने वाले संरचित तंत्र का सुझाव देगी। समिति की सिफारिशों के आधार पर, बैंकों को सूचित की गई है कि वेः

- क्षेत्र में ऋण वृद्धि की निगरानी की अपनी मौजूदा प्रणालियों को मजबूत करें और प्रत्येक पर्यवेक्षी स्तर (शाखा, क्षेत्र, अंचल, प्रधान कार्यालय) पर एक सिस्टम-संचालित व्यापक कार्य-निष्पादन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) स्थापित करें, जिसका नियमित आधार पर गंभीर रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए;
- एमएसई ऋण आवेदनों की ए-ट्रैकिंग की एक प्रणाली स्थापित करें और बैंकों में ऋण आवेदन निपटान प्रक्रिया की निगरानी करें, जिसमें शाखा-वार, क्षेत्र-वार, अंचल-वार और राज्यवार स्थिति दी जाए। इस संबंध में स्थिति बैंकों द्वारा अपनी वेबसाइटों पर प्रदर्शित की जाए|

26.2 ऋण आवेदन का केंद्रीय पंजीकरण (क्रेडिट प्रस्ताव ट्रैकिंग सिस्टम सीपीटीएस)

ग्राहकों को ऑनलाइन एमएसएमई ऋण आवेदन जमा करने की सुविधा के लिए, हमारे एचओ-आईटी ने एक पैकेज विकसित किया है और इसके व्यापक दिशानिर्देश सभी संबंधित और एचओबीसी 112/54 दिनांक 11/07/2018 को परिचालित किए गए हैं।

मॉड्यूल की प्रमुख कार्यक्षमताओं का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:
क) यूआरएल: http://172.1.57.83/site pages/msmeregister.aspx
ख) उपयोगकर्ता आईडी: boicorp \branch एमएमएस उपयोगकर्ता।
ग) पासवर्ड: शाखा एमएमएस पासवर्ड

घ) मॉड्यूल में नए एप्लिकेशन विवरण जोड़ने हेतु, शाखाओं को चयन करना होगा: एड न्यू आइटम।
ङ) शाखाओं को आवेदक से संबंधित सभी संगत डेटा दर्ज करना चाहिए और फिर आवेदक को उत्पन्न आवेदन आईडी सूचित करनी चाहिए।
च) मौजूदा रिकॉर्ड को संपादित करने हेतु, शाखाओं को एडिट आइटम पर क्लिक करना होगा। इसके बाद शाखाएँ संबंधित उधारकर्ता का नाम चयन कर सकती हैं जिसके लिए कोई संपादन आवश्यक है।
छ) "संपादित करें" के अंतर्गत शाखाएं प्रस्ताव प्रसंस्करण की स्थिति को भी अद्यतन कर सकती हैं तथा ऋण आवेदनों के प्रसंस्करण चरणों के अनुसार स्थिति में परिवर्तन कर सकती हैं।
ज) ऋण आवेदन के प्रत्येक चरण, अर्थात शाखा से आवेदन विवरण की प्रविष्टि से लेकर आवेदन के निपटान (लंबित/स्वीकृत/अस्वीकृत) तक, समय-समय पर मूल शाखा द्वारा अद्यतन किया जाना होता है, जिसने उधारकर्ता से आवेदन प्राप्त किया है।
झ) कुल आवेदनों की एमआईएस उचित निगरानी और नियंत्रण हेतु आंचलिक कार्यालय और प्रधान कार्यालय दोनों को उपलब्ध की जाएगी।

26.3 आवेदक नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं:
https://www.bankofindia.co.in/engllsh/Track-SME-loan-status.aspx
लॉग इन करने के बाद, पेज पर आवेदक को अपना आवेदन आईडी डालना होगा और उसके आवेदन की स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी।

26.4 इस प्रकार उत्पन्न एमआईएस को आरबीआई के निर्देशानुसार तिमाही आधार पर बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

26.5 सीआरएम नेक्स्ट

बैंक ने ई-प्लेटफ़ॉर्म परियोजना के तहत लीड मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) के रूप में सीआरएम नेक्स्ट को अपनाया है, जहाँ सभी लीड डिजिटल और भौतिक स्रोतों से प्राप्त की जाती हैं। शाखाएँ और एसएमईसीसी/एसएमईयूसी सीआरएम नेक्स्ट में सभी आवेदनों की स्थिति को अद्यतन करेंगे। ग्राहक को प्रत्येक स्थिति की पावती एसएमएस या ई-मेल के माध्यम से प्राप्त होगा।

सीआरएम नेक्स्ट को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है:
https://starsampark.bankofindia.co.in/sn/app/login/login
सीआरएम नेक्स्ट पैकेज के अंतर्गत यूजर नई लीड्स बना सकते हैं, मौजूदा लीड्स की स्थिति की जांच कर सकते हैं और लीड्स की स्थिति को अपडेट कर सकते हैं।
लीड्स डिजिटल स्रोतों जैसे एसएमएस, मिस्ड कॉल, वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग, कॉल सेंटर , जन समर्थ पोर्टल, एनालिटिक्स, मोबाइल बैंकिंग आदि से आ सकती हैं। इन डिजिटल लीड्स के अलावा सभी वॉक-इन लीड्स को शाखाओं/एसएमईसीसी/एसएमईयूसी द्वारा सीआरएम में दर्ज किया जाना आवश्यक है।
नई लीड बनाने के बाद यूजर को निगरानी और ट्रैकिंग हेतु लीड की प्रगति के साथ समय-समय पर स्थिति को अपडेट करना पड़ता है। चूंकि सीआरएम नेक्स्ट और ई-प्लेटफॉर्म पोर्टल जन समर्थ पोर्टल के साथ एकीकृत है, इसलिए जन समर्थ पोर्टल से आने वाली और ई-प्लेटफॉर्म में शुरू की गई सभी लीड को अनिवार्य रूप से केवल ई-प्लेटफॉर्म पर ही अपडेट किया जाना चाहिए।
विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए विपणन विभाग द्वारा साझा किए गए यूजर मैनुअल और एसओपी का पालन किया जाना चाहिए।

27. एमएसएमई के तहत ऋण योजनाएं और उत्पाद

बैंक द्वारा समय-समय पर बाजार की अपेक्षाओं को पूरा करने, आसान मूल्यांकन और क्षेत्र-विशिष्ट ऋण वितरण की सुविधा हेतु विभिन्न योजनाएं और उत्पाद तैयार किए जाते हैं। कुछ लोकप्रिय योजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	उत्पाद/योजना का नाम	उत्पाद/योजना का उद्देश्य
27.1	**बीओआई स्टार एमएसएमई वेलकम ऑफर**	वेलकम ऑफर एमडीए (सबसे वांछनीय खातें) को शामिल करने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें उन्हें रियायती मूल्य और सुविधाजनक मानदंड प्रदान किए गए हैं।
27.2	**बीओआई स्टार एसेट बैक्ड लोन (बीएसएबीएल)**	इस उत्पाद का उद्देश्य कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करना/नेटवर्किंग पूंजी को बढ़ाना/व्यावसायिक गतिविधि के लिए या व्यवसाय के विस्तार के लिए अचल संपत्तियों को वित्तपोषित करने के लिए झंझटमुक्त ऋण प्रदान करना है, जो उधारकर्ताओं/प्रवर्तकों/गारंटरों की आवासीय/वाणिज्यिक अचल संपत्ति के खिलाफ निधि आधारित/गैर-निधि आधारित सुविधा के रूप में है।
27.3	**स्टार डॉक्टर प्लस योजना**	यह योजना मान्यता प्राप्त चिकित्सकों के लिए शुरू की गई है। चिकित्सा पेशे से संबंधित किसी भी वास्तविक उद्देश्य के लिए ऋण सुविधा प्रदान की जाती है जैसे कि नया क्लिनिक/नर्सिंग होम/पैथोलॉजिकल लैब स्थापित करना या उसका विस्तार/आधुनिकीकरण, उपकरण खरीदना, वाहन खरीदना। व्यावसायिक परिसर/उपकरण के लिए आवश्यकता आधारित सीमा रहित ऋण पर विचार किया जाएगा।
27.4	**स्टार वेहिकल एक्सप्रेस ऋण**	स्टार वाहन एक्सप्रेस ऋण उत्पाद कैप्टिव के साथ-साथ वाणिज्यिक उपयोग के लिए वाणिज्यिक वाहनों की खरीद के वित्तपोषण हेतु एक नवीकृत योजना है। बीओआई-टीएमएफएल लोन और बीओआई-एचएलएफएल लोन, स्टार व्हीकल एक्सप्रेस के उत्पाद डिजाइन पर आधारित दो टाई-अप मॉड्यूल ऋण सुविधाएं हैं।
27.5	**स्टार इक्विपमेंट एक्सप्रेस लोन**	उपकरण वित्तपोषण के क्षेत्र में अवसर का लाभ उठाने के लिए, बैंक ने "स्टार इक्विपमेंट एक्सप्रेस" नाम से एक नया उत्पाद पेश किया है।
27.6	**स्टार एनर्जी सेवर योजना**	यह योजना नवीकरणीय (हरित) ऊर्जा बचत मशीनरी और उपकरणों के उन्नयन/स्थापना/अपनाने के लिए वित्त पोषण की आवश्यकता को पूरा करने पर केंद्रित है।

27.7	**स्टार एक्सपोर्ट क्रेडिट**	हमारे मौजूदा/एनटीबी निर्यातकों को निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सुविधाओं और निर्यात आदेशों के निष्पादन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
27.8	**बीओआई स्टार एमएसएमई थाला**	एमएसएमई इकाइयों को बुनियादी विकास/अधिग्रहण/निर्माण कार्य हेतु उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त प्रदान करना तथा अचल संपत्ति से किराये के रूप में भविष्य के नकदी प्रवाह के विरुद्ध ऋण जुटाना।
27.9	**उद्यमी वनिता (स्टार प्रियदर्शिनी योजना)**	यह योजना विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए उपकरण, मशीनरी, वाहन, फर्नीचर और फिक्सचर आदि खरीदने के साथ-साथ उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए तैयार की गई है। इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को लागू ब्याज दर में अधिकतम 1% प्रति वर्ष की छूट दी जाती है। ऋण राशि के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
27.10	**बीओआई स्टार युवा उद्यमी**	इस योजना का उद्देश्य युवाओं (आयु वर्ग: 18 से 35 तक) द्वारा संचालित एमएसएमई इकाइयों को वित्तपोषित करना है। यह उत्पाद युवाओं द्वारा संचालित एमएसएमई की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप है।
27.11	**स्टार इंस्टा लोन**	स्टार इंस्टा लोन हमारे मौजूदा उधारकर्ताओं की तत्काल व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है।
27.12	**क्लस्टर आधारित वित्त योजना**	क्लस्टर के अंतर्गत चिन्हित विभिन्न इकाइयों के वित्तपोषण के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
27.13	**स्टार एसएमई कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट लाइन**	यह पिछले 3 वर्षों से व्यवसाय में लगे प्रतिष्ठित ठेकेदारों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, जिनके पास लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति है। नकद ऋण, बैंक गारंटी, ऋण पत्र आदि के रूप में वित्त का लाभ उठाया जा सकता है।
27.14	**स्टार एसएमई एजुकेशन प्लस**	अनुमोदित शैक्षणिक संस्थान जैसे विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल, जिनके पास 3 वर्ष का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और कम से कम लगातार 2 वर्षों का लाभ कमाने का रिकॉर्ड है, वे भवन के निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत और कंप्यूटर, उपकरण, फर्नीचर आदि की खरीद के लिए सावधि ऋण का लाभ उठा सकते हैं।
27.15	**स्टार डिजी बिज़** (**स्टार इजी बिज़ लोन)**	तेज टी-ए-टी एवं सरलीकृत मूल्यांकन पद्धति के साथ ऋण सुविधा प्रदान करने और जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई संस्थाओं को डिजिटल ऋण संबंधी समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से भी स्टार इजी बिज़ लोन की शुरुआत की गई है। यह उत्पाद स्टार इजी बिज़ लोन की एक नवीकृत योजना है।

27.16	**प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)**	पीएमएमवाई या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य गैर-कृषि उद्यमों को विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं के क्षेत्र में ऋण प्रदान करना है, जिनकी ऋण आवश्यकता 20.00 लाख रु. से कम है। 8 अप्रैल 2015 या उसके बाद दिए गए सभी अग्रिमों, जो इस श्रेणी में आते हैं, उन्हें पीएमएमवाई के अंतर्गत मुद्रा लोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणियाँ: **शिशु:** ₹50,000 तक, जिसमें पीएमजेडीवाई-ओडी ₹10,000 तक शामिल है। **किशोर:** ₹50,000 से अधिक और ₹5.00 लाख तक। **तरुण:** ₹5.00 लाख से अधिक और ₹10.00 लाख तक। **तरुण प्लस:** ₹10 लाख से अधिक और ₹20 लाख तक, उन उद्यमियों के लिए जिन्होने तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया है और उसे सफलतापूर्वक चुकाया है।
27.17	**प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)**	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों के स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए 31.03.2008 तक परिचालित दो योजनाओं अर्थात् प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) को मिलाकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना शुरू की है। पीएमईजीपी केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जिसे एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।
27.18	**स्टैंड अप इंडिया योजना**	स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिला उधारकर्ताओं को ग्रीनफील्ड परियोजना शुरू करने हेतु 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है।
27.19	**स्टार स्टार्टअप योजना**	यह योजना उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त पात्र स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि वे किसी उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा में नवाचार, विकास या सुधार हेतु वित्त प्राप्त कर सकें और/या उनके पास ऐसा व्यावसायिक मॉडल हो जो बड़े पैमाने पर लागू हो सके तथा जिसमें संपत्ति और रोजगार सृजन की उच्च संभावनाएं हों।
27.20	**ऑनलाइन पीएसबी लोन या जनसमर्थ**	कॉन्टैक्टलेस प्लैटफ़ार्म (ऑनलाइनपीएसबीलोन) एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल ऋण प्रबंधन

		प्लैटफ़ार्म है जिसमें 59 मिनट के भीतर बिना भौतिक संपर्क के सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है। यह लोन स्वीकृति या संवितरण चरण तक उधारकर्ता के भौतिक संपर्क के बिना किए जाते हैं। जनसमर्थ एक अन्य प्लैटफ़ार्म है जो एमएसएमई को डिजिटल ऋण आवेदनों के लिए एक्सेस प्रदान करता है। ये लोन बैंक के ऋण उत्पादों के किसी एक या अन्य श्रेणी में आते हैं।
27.21	**मर्चेंट क्रेडिट कार्ड (एमसीसी)** , **सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी)**	क्रेडिट कार्ड आधारित ऋण दृष्टिकोण बैंक की योजना का एक हिस्सा है**,** जिसका उद्देश्य एमएसएमई के लिए अधिक औपचारिक ऋण की सुनिश्चित करना है जो कि देश के रोजगार सृजन के लिए एक बड़ी भूमिका निभाते है। बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम श्रेणी के व्यापारियों के लिए एमसीसी सुविधा शुरू की है ताकि इन इकाइयों को अल्पकालिक तरलता की आवश्यकताओं को पूरा करने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में मदद मिल सके। इसके अतिरिक्त, एलयूटीसी, वीभर कार्ड, आर्टिसन कार्ड भी इसमें मौजूद है। ऐसे सभी कार्ड उत्पाद सामान्य क्रेडिट कार्ड की एक उप-श्रेणी हैं।
27.22	**राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)**	वर्तमान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) को ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया है। एनयूएलएम का घटक स्वरोजगार कार्यक्रम (एसईपी) व्यक्तिगत और समूह उद्यमों तथा शहरी क्षेत्र के निर्धन स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) की स्थापना के लिए लोन पर ब्याज सब्सिडी के प्रावधान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
27.23	**व्यापार प्राप्य इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स)**	ट्रेड्स प्लैटफ़ार्म, प्रतिस्पर्धी बाजार दरों पर व्यापार प्राप्तियों की शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए नीलामी तंत्र से सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए एमएसएमई विक्रेताओं के बीजकों/विनिमय बिलों की छूट को सक्षम बनाता है।
27.24	**स्टार चैनल फाइनेंस**	हमारे 'स्टार चैनल फाइनेंस' उत्पाद के माध्यम से हम विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं और डीलरों को बीजक बिल छूट योजना के माध्यम से वित्त प्रदान करते है। इस योजना के तहत यह सुविधा अति प्रतिस्पर्धी ब्याज दर पर न्यूनतम या शून्य मार्जिन के साथ दी जाती है।
27.25	**मुद्रा फ्रेंचाइज/ एग्रीगेटर/ डीलर योजना**	मुद्रा के अंतर्गत विभिन्न कॉर्पोरेट्स के डीलर/ एग्रीगेटर/ फ्रेंचाइज को वित्त प्रदान करने हेतु एक मानक परिचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

27.26	**अन्य गारंटी योजनाएँ**	**सीजीटीएमएसई के अलावा,** ➢ सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) ➢ स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए ऋण गारंटी योजना निधि (सीजीएसएसआई) ➢ अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए ऋण संवर्धन गारंटी योजना (सीईजीएसएससी) ➢ स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएस) ➢ म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम – एमएसएमई (एमसीजीएस- एमएसएमई) **उपरोक्त गारंटी योजनाएं लागू हैं।** **सभी गारंटी योजनाओं को एमएसएमई गारंटी योजना के मास्टर परिपत्र के अनुसार प्रशासित किया जाना है।**
27.27	**अन्य**	इन उत्पादों/योजनाओं के अलावा, पूल बायआउट के तहत ऋण, सह-ऋण, अन्य सहयोगी वित्तपोषण और एमएसएमई सामान्य लोन देने की भी व्यवस्था हैं और इन उत्पादों/योजनाओं के तहत बैंक के वर्तमान उत्पाद/योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता भी दी जा सकती हैं।

(नए उत्पादों/प्रक्रियाओं/प्रारूपों/परिपत्रों आदि का परिचय और इनका कार्यान्वयन एमएसएमई के तहत बैंक में उत्पाद, प्रणाली और पुनः इंजीनियरिंग प्रक्रिया से संबंधित बैंक की अनुमोदित नीति के अनुसार किया जा सकता है।)

28. आवेदन और प्रस्ताव प्रपत्र

एचओबीसी 112/27 दिनांक 01/06/2018 के माध्यम से 200 लाख रु. तक के एमएसएमई ऋण के लिए एक नए आवेदन का प्रारूप तैयार किया और प्रसारित किया गया।

इसके अलावा, 200 लाख रुपये या उससे अधिक की लोन राशि की आवश्यकता वाले सभी एमएसएमई उधारकर्ताओं से एमएसई। (आवेदन प्रपत्र) प्राप्त किया जाना चाहिए। हालांकि, प्रस्ताव को प्रसंस्करण करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त जानकारी अनुलग्नक के रूप में प्राप्त की जा सकती है। जहां भी योजना के विशिष्ट आवेदन प्रपत्र निर्धारित किया गया है वहां यह प्राप्त किया जाना चाहिए।

सभी एमएसएमई प्रस्तावों का नया संशोधित प्रारूप एचओबीसी 112/88 दिनांक 17/09/2018 के माध्यम से प्रसारित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तीन अलग-अलग प्रस्ताव के प्रारूप शामिल है:

एमएसएमई - 1 – लघु सड़क परिवहन संचालक को अग्रिम

एमएसएमई - 2 - 25 लाख रुपये की सीमा तक

एमएसएमई - 3 – 25 लाख से अधिक तथा 200 लाख की सीमा तक

200 लाख रु. से अधिक के लोन के अनुरोध को कार्यपालक सारांश प्रारूप प्रसंस्कृत किया जाना चाहिए – सी&आईसी विभाग द्वारा प्रसारित यह प्रारूप बड़े उधार वाले खातों के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ग्रीन प्रारूप भी लागू है जिसे 5 करोड़ तक के उधार की समीक्षा के लिए उपयोग किया जाता है।
ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र: बैंक ने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भी तैयार किया है और यह बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

29. 'ई-प्लेटफॉर्म' के माध्यम से प्रस्ताव प्रसंस्करण

हमारा बैंक एक ऋण उद्गम प्रणाली (एलओएस) विकसित करने की प्रक्रिया में है। ई-प्लेटफॉर्म का विकास चरणबद्ध तरीके से होगा जिसमें सभी एमएसएमई उत्पाद समय-समय पर शुरू किए जाएंगे। ई-प्लेटफॉर्म के तहत ऋण का प्रसंस्करण स्वचालित की जाएगी जिसमें केवाईसी सत्यापन, बैंक स्टेटमेंट का विश्लेषण, जीएसटी रिटर्न, आईटीआर रिटर्न और तुलन पत्र तथा वित्तीय रिटर्न आदि जैसी विशेषताएँ शामिल होंगी। इसमें कुछ निश्चित व्यवसाय नियम इंजन / अंडरराइटिंग पैरामीटर होंगे जो स्वचालन प्रक्रिया का हिस्सा होंगे, मंजूरी / संवितरण चरण तक स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) को चलाने के लिए। ई-प्लेटफ़ॉर्म के प्रसंस्करण में ऐसे कैश फ्लो आधारित मूल्यांकन उपकरण होंगे जो बैंक विवरण या जीएसटी रिटर्न आदि में क्रेडिट योग पर निर्भर करेंगे। बैंक ने संवितरण स्तर तक एसटीपी ग्राहक यात्रा हेतु शिशु-मुद्रा ऋण उत्पाद की पहचान की है जहाँ उधारकर्ता द्वारा ई-प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से प्राप्त आवेदन प्रणाली द्वारा बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के ऑनलाइन प्रक्रिया, स्वीकृत और संवितरित किए जाएंगे। ऐसे मामलों में, प्रत्यायोजित प्राधिकरण स्वयं प्रणाली होगी।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के ऋण 01.01.2023 से ई-प्लेटफ़ॉर्म पर शुरू हो गए हैं और सभी शाखाओं को निर्देशित किया गया है कि वे अनिवार्य रूप से सभी मुद्रा ऋणों को केवल ई-प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से संसाधित करें। यूजर मार्गदर्शिका और मानक परिचालन प्रक्रियाएँ जारी की गई हैं और शाखाओं के साथ साझा की गई हैं। ई-प्लेटफ़ॉर्म प्रस्ताव, स्वीकृति पत्र और सुरक्षा दस्तावेज उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जिससे प्रस्ताव के निपटान का समय कम होता है।
उत्पाद, प्रणाली और प्रक्रिया समूह समिति (पीएसपीजी) प्रत्येक उत्पाद के लिए स्वचालित ऋणों के कार्यान्वयन हेतु सभी अंडरराइटिंग मानकों/व्यापार नियम इंजन को मंजूरी दे सकती है जो ई-प्लेटफ़ॉर्म में शुरू किए गए हैं।

30. समुचित सावधानी

एमएसएमई क्षेत्र से जुड़ी एक विशेषता यह है कि इनमें से एक बड़ा हिस्सा एकल स्वामी या पारिवारिक व्यवसाय हैं। यह स्वामित्व या साझेदारी के रूप में हो सकता है, लेकिन सामान्यतः यह पंजीकृत नहीं होता। उधारकर्ताओं के चयन में समुचित सावधानी सर्वोपरि महत्व रखता है।

समुचित सावधानी रखते समय अन्य मुद्दों के साथ-साथ निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करना चाहिए।

- **i)** केवाईसी औपचारिकताएँ (पहचान और पते की पुष्टि)
- **ii)** सीआईसी (सीबीएस /सीबीआर) रिपोर्टों की जांच करना(यह समीक्षा के समय किया जाना है|)
- **iii)** आरबीआई/ईसीजीसी डिफाल्टर सूची/एसएएल सत्यापन
- **iv)** आरओसी के रिकॉर्ड में जांच
- **v)** पैन की पुष्टि
- **vi)** शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कौशल
- **vii)** रोजगार/व्यवसाय विवरण
- **viii)** मौजूद बैंक खाता /लोन की संवीक्षा, यदि हो तो
- **ix)** परिवार की पृष्ठभूमि, सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यवसाय में स्थिति/अवधि
- **x)** बाजार रिपोर्टें।

बैंक ने विभिन्न ड्यू डिलिजेंस एजेंसियों जैसे डन एवं ब्रैडस्ट्रीट, मिरा इन्फॉर्म, गोल्डरश कैपिटल आदि के साथ साझेदारी की है, जो शाखाओं के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में है और इन एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट पाने के लिए किया जा सकता है।

31. फिनटेक कंपनियों के साथ टाई-अप

i. एमसीए डेटा प्राप्त करने के लिए हमारा बैंक फिनटेक कंपनी जांच 42 के साथ जुड़ा है। शाखाएँ जांच 42 के माध्यम से सभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए जांच 42 की सेवाओं का उपयोग कर सकती हैं।

ii. प्रक्रिया के तहत स्वचालन के साथ हमने डेटा एकत्रीकरण सेवाओं के लिए विभिन्न फिनटेक कंपनियों के साथ गठजोड़ किया है और बैलेंस शीट के वित्तीय विश्लेषण, बैंक स्टेटमेंट के विश्लेषण, ई दस्तावेज़ीकरण आदि के संदर्भ में उनकी क्षमताओं का उपयोग किया है। हम कुछ व्यवसाय नियम इंजीनियर/हामीदारी मापदंडों का भी निर्माण कर रहे हैं जो स्वीकृति/संवितरण चरण तक सीधे प्रक्रिया को पूरा करने के लिए स्वचालन प्रक्रिया का हिस्सा होंगे।

iii. **उत्पाद, सिस्टम और प्रक्रिया समूह समिति (पीएसपीजी) एसटीपी/एसटीपी के बिना ऋण के स्वचालन के कार्यान्वयन के लिए सभी अंडरराइटिंग पैरामीटर/बिजनेस रूल इंजन को मंजूरी दे सकती है** ।

32. एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए फ्रेमवर्क

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 29 मई 2015 की अपनी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार और पुनर्वास हेतु एक फ्रेमवर्क की अधिसूचना दी थी, ताकि एमएसएमई के खातों में दबाव को हल करने हेतु एक सरल और तेज़ तंत्र प्रदान किया जा सके और एमएसएमई के प्रचार और विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके।

25 करोड़ रुपये तक की ऋण सीमा वाली एमएसएमई इकाइयों का पुनरुद्धार और पुनर्वास इस रूपरेखा के तहत किया जाएगा। संशोधित रूपरेखा संभावित रूप से व्यवहार्य इकाइयों और एकमुश्त निपटान के पुनर्वास

के लिए राहत और रियायतों से संबंधित को छोड़कर बीमार, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के पुनर्वास पर पहले के दिशानिर्देशों को अधिक्रमित करता है
इस फ्रेमवर्क की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

i) किसी एमएसएमई का ऋण खाता अनर्जक आस्तियों(एनपीए) में बदलने से पहले, बैंकों या ऋणदाताओं को विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) श्रेणी के तहत तीन उप श्रेणियों का निर्माण करके खाते में प्रारंभिक दबाव की पहचान करनी चाहिए जैसा कि उक्त फ्रेमवर्क में दिया गया है।
ii) कोई भी एमएसएमई उधारकर्ता इस फ्रेमवर्क के तहत स्वेच्छा से कार्यवाही शुरू कर सकता है।
iii) सुधारात्मक कार्य योजना निर्धारित करने हेतु समिति का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
iv) फ्रेमवर्क के तहत विभिन्न निर्णय लेने के लिए समय सीमाएँ निर्धारित की गई हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार और पुनर्वास करने कि रूपरेखा पर विस्तृत दिशानिर्देश भाग-डी के तहत इस नीति में शामिल किए गए हैं|

33. "जनसमर्थ" सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए पोर्टल

वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के माध्यम से, भारत सरकार ने एनपीसीजीएस "क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल" नामक एक परियोजना स्थापित करने की पहल की है, जो कि सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न केंद्रीय/राज्य सरकार की क्रेडिट लिंक्ड योजनाओं को रिटेल, कृषि और एमएसएमई क्षेत्र के तहत लागू करने हेतु एक एकल ऑनलाइन पोर्टल है। एनपीसीजीएस को ऑनलाइन पीएसबी लोन लिमिटेड (ओपीएल) द्वारा विकसित किया गया है।

निम्नलिखित क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाएँ चरणबद्ध तरीके से पोर्टल में शामिल की जाएंगी:

चरण-I	
शिक्षा योजनाएँ	सीएसआईएस, पढ़ो परदेश, डॉ. आंबेडकर
आवास योजनाएँ	प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)
कृषि अवसंरचना योजनाएँ	सीएबीसी, एएमआई, एआईएफ
जीविका योजनाएँ	एनआरएलएम, एनयूएलएम
व्यापार गतिविधि योजनाएँ	पीएमस्वनिधि, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा बुनकर,
चरण-II	
राज्य सरकार की योजनाएँ, पीएमईजीपी	

पोर्टल को उत्पाद विशिष्ट मानकों के लिए बेंचमार्क परिभाषित करने के लिए एमएलआई की आवश्यकता होती है ताकि पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन का सैद्धांतिक अनुमोदन दिया जा सके। तदनुसार, प्रत्येक योजना के लिए मानक पोर्टल पर परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय पोर्टल से प्राप्त आवेदनों को लीड प्रबंधन के लिए बैंक के सीआरएम (सीआरएम नेक्स्ट) के माध्यम से पारित किया जाएगा और अंततः लीड का प्रसंस्करण बैंक के लोन ओरिजिनेशन सिस्टम (एलओएस) में यूजर द्वारा किया जाएगा। विस्तृत प्रक्रिया प्रवाह और एसओपी संबंधित कार्यात्मक विभाग द्वारा सुचारू कार्यान्वयन के लिए साझा किया गया है।

34. कोविड संबंधित उत्पाद

हाल के कोविड 19 महामारी के कारण संकट के इस समय एमएसएमई उधारकर्ताओं का समर्थन करने के लिए बैंक द्वारा विभिन्न उपाय किए गए। इसी तरह, भारत सरकार ने अपने कोविड से संबंधित प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से निम्नलिखित पहल का भी संचालन किया। बैंक द्वारा तैयार और लागू किए गए सभी ऐसे उत्पादों की सूची नीचे दी गई है:

क). स्टार गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (स्टार जीईसीएल)

ख). पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएमएसवानिधि) योजना के तहत स्टार हॉकर आत्मनिर्भर ऋण (एसएचएएल)

ग). दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए स्टार अधीनता ऋण और अधीनता ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना

घ). कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएएस)

ड). कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना(एलजीएससीएटीएसएस)

35. ऋण की उत्पत्ति के लिए सह-उधार मॉडल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या आरबीआई/2020-21/63,एफआईडीडी.सीओ.प्लेन.योजना.बीसी.सं.8/04.09.01/ 2020-21 दिनांक 5 नवंबर 2020 के तहत बैंकों को पूर्व समझौते के आधार पर सभी पंजीकृत एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के साथ सह-ऋण देने की अनुमति दी है।

एनबीएफसी (एचएफसी सहित) ने आरएएम क्षेत्र में अब तक नए क्रेडिट ग्राहकों को ऋण प्रदान करने में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है और उनके पास आईटी सक्षम तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म है जो ऋण जीवन चक्र प्रबंधन को अंतिम रूप से सुविधाजनक बनाता है। इसके अलावा, एनबीएफसी (एचएफसी सहित) सक्रिय हैं और उन्होंने कम से कम समय में ऋण की शुरुआत और अंडरराइटिंग में वर्षों से विशेषज्ञता हासिल की है। हमारे बैंक जैसे सार्वभौमिक बैंकों को आरएएम पोर्टफोलियो बनाने हेतु एनबीएफसी (एचएफसी सहित) की विशेषज्ञता का लाभ उठाने की आवश्यकता है।

हमारे बैंक ने सह-उधार मॉडल नीति (बोर्ड दिनांक 15.03.2021) तैयार की है और बाद में संशोधित की है (अंतिम संशोधन बोर्ड द्वारा दिनांक 25.11.2022 को अनुमोदित किया गया)। सीएलएम नीति का उद्देश्य एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के साथ सह-उधार के माध्यम से मौजूदा आरएएम रणनीति ऋण उत्पत्ति को जोड़ना है और इसके उद्देश्य हैं:

i) एनबीएफसी (एचएफसी सहित) की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर बैंक के आरएएम पोर्टफोलियो में छोटे से मध्यम आकार के ऋणों की गुणवत्ता/पोर्टफोलियो हासिल करना।

ii) ऋण बाजारों में एनबीएफसी (एचएफसी सहित) की बड़ी उपस्थिति का लाभ उठाने के लिए उनके साथ साझेदारी करना तथा ऋण अंकन मानकों और संग्रह दक्षता में सुधार के लिए उनकी सेवाओं का लाभ उठाना।

iii) एनबीएफसी (एचएफसी सहित) में कौशल के प्रभावी उपयोग के माध्यम से पारंपरिक वित्तीय मध्यस्थता में बाधाओं को दूर करना और मार्जिन में सुधार करना।

36. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र - वित्तीय साक्षरता एवं परामर्श सहायता की अनिवार्यता

एमएसएमई क्षेत्र में वित्तीय वंचन की उच्च सीमा को ध्यान में रखते हुए, बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक इकाइयों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र के दायरे में लाया जाए। वित्तीय साक्षरता, लेखा और वित्त, व्यवसाय नियोजन आदि सहित परिचालन कौशल की कमी एमएसई उधारकर्ताओं के लिए कठिन चुनौती उत्पन्न करती है, जिससे इन महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्रों में बैंकों द्वारा सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल मिलता है। इसके अलावा, एमएसई उद्यम इस संबंध में स्तर और आकार की अनुपस्थिति के कारण और भी अधिक बाधा में हैं। इन बाधाओं को प्रभावी ढंग से और निर्णायक रूप से संबोधित करने के लिए, आरबीआई ने 1 अगस्त, 2012 को अपने परिपत्र आरपीसीडी.एमएसएमई & एनएफएस.बीसी.सं.20/06.02.31/2012-13 के माध्यम से सूचित किया है कि बैंक या तो अपनी शाखाओं में अलग से विशेष सेल स्थापित कर सकते हैं, या अपने तुलनात्मक लाभ के अनुसार उनके द्वारा स्थापित वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) में इस कार्य को एकीकृत कर सकते हैं। बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार देश भर में "अभय" नाम से 51 वित्तीय साक्षरता केंद्र पहले ही स्थापित कर दिए हैं।

37. एमएसएमई क्षेत्र के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता

बीसीएसबीआई (बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया) ने "सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए प्रतिबद्धता संहिता (अगस्त 2015)" तैयार की थी: निम्नलिखित कोडों को छोड़कर, "सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए प्रतिबद्धता संहिता-अगस्त 2015" के अन्य कोड अब बैंक द्वारा वापस ले लिए गए हैं और बैंक अपनी एमएसएमई ऋण नीति और नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार सेवाएं प्रदान करेगा:

(नोट: "बैंक एमएसएमई क्षेत्र को सक्रिय और बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से ग्राहक सेवा और अन्य मामलों से संबंधित आरबीआई/डीएफएस/भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने का प्रयास करेगा।")

क) 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋण' तथा 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के पुनर्वास' पर अपनी नीतियों को अपनी वेबसाइटों पर प्रदर्शित करें तथा उन्हें शाखाओं में भी उपलब्ध कराएं।

ख) सब्सिडी योजनाओं की विशेषताओं तथा किसी भी ऐसी योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक किसी भी आवश्यकता की व्याख्या करें।

ग) एमएसई उधारकर्ता को केंद्रीय रजिस्ट्री की कार्यप्रणाली के बारे में सलाह देना तथा किसी भी ऋणदाता या संपत्ति से संबंधित लेन-देन करने के इच्छुक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खोज के लिए उनके अभिलेखों की उपलब्धता के बारे में जानकारी देना।

घ) एमएसई ग्राहक को केएफएस (मुख्य तथ्य विवरण) और सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी) दें जो उनके द्वारा अनुमोदित ऋण / क्रेडिट सुविधा को नियंत्रित करती हैं और जिनका एमएसई द्वारा लाभ उठाया जा सकता है।

ङ) एमएसई के ऋण सीमा या मौजूदा ऋण सीमा में वृद्धि के लिए ऋण आवेदन का निपटान आवेदन प्राप्ति की तारीख से निर्धारित समय सीमा के भीतर करना, बशर्ते कि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हो और उसके साथ प्रदान की गई 'जांच सूची' के अनुसार दस्तावेज संलग्न हों।

च) 10 लाख रुपये तक की ऋण सीमा या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट सीमा तक के लिए संपार्श्विक पर जोर नहीं दिया जाएगा।

छ) एमएसई उधारकर्ता को उसके खाते के एनपीए बनने से पहले उसके खाते की स्थिति के बारे में पत्र/मेल या एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजने का प्रयास करें।

ज) यदि बैंक समझौते के तहत भुगतान या निष्पादन को वापस लेने/तेजी लाने या अतिरिक्त प्रतिभूतियां मांगने का निर्णय लेता है, तो एमएसई उधारकर्ता को पर्याप्त समय पहले इसकी सूचना दें।

झ) एमएसई ग्राहक को क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा बनाए गए उसके क्रेडिट इतिहास पर एकबारगी निपटान (ओटीएस) के प्रभावों के बारे में समझाएं।

ञ) एमएसई उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा के गारंटर(ओं) को स्वीकृत ऋण/ऋण समझौते की शर्तों और नियमों की एक प्रति दें।

ट) एमएसई उधारकर्ता के सावधि ऋण/मांग ऋण के वार्षिक लेखा विवरण की एक प्रति ऋण के गारंटर को भेजें।

ठ) संभावित उधारकर्ताओं के वित्तीय प्रबंधन पर ज्ञान बढ़ाने हेतु कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास।

ड) विचारों और सुझावों के आदान-प्रदान के लिए एक नियमित चैनल के रूप में समय-समय पर एमएसई उधारकर्ताओं की बैठकें आयोजित करने का प्रयास करना।

38. सामान्य निर्देश:

क) यदि किसी एमएसएमई उत्पाद विशिष्ट प्रत्यायोजन को मंजूरी दी जाती है, तो ऐसा प्रत्यायोजन शक्तियों के सामान्य प्रतिनिधिमंडल पर हावी होगा।

ख) जीएम-एफजीएमओ राज्य सरकार की योजनाओं को मंजूरी दे सकते हैं और उन्हें एफजीएमओ स्तर पर लागू कर सकते हैं। अंचल के आंचलिक प्रबंधक या महाप्रबंधक-एफजीएमओ व्यवसाय सृजन के लिए सहयोगात्मक प्रयासों के लिए संस्थाओं के साथ टाई-अप भी कर सकते हैं, जहाँ कमीशन साझा करने की आवश्यकता नहीं होती है।

ग) ओआरएमसी/सीआरएमसी को किसी भी एसएमईसीसी/यूसी को खोलने/बंद करने की मंजूरी देने का अधिकार है।

(घ) सीजीएम-आरएएम/जीएम-एसएमई, सीआरएमसी/ओआरएमसी से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, व्यवसाय सृजन के लिए सहयोगात्मक प्रयासों हेतु संस्थाओं के साथ गठजोड़ कर सकते हैं, जहां कमीशन साझा करना बीएसए मॉडल के दायरे से बाहर आवश्यक है।

ङ) टी-ए-टी में सुधार के लिए, एसएमईसीसी/यूसी सीधे एचओ-एसएमई को प्रस्ताव भेज सकते हैं और एफजीएमओ सिफारिश बाद में प्रस्तुत की जा सकती है।

च) 1.00 करोड़ रुपये तक के सभी ऋणों के लिए, जहाँ संपत्ति का बंधक रखना आवश्यक है, 13 वर्ष की अवधि के लिए टीसीआर पर विचार किया जा सकता है, यदि परिचालन कारणों से 30 वर्ष की टीसीआर प्राप्त नहीं की जा सकती है। 30 वर्ष की जानकारी की अनुपलब्धता और 13 वर्ष की टाइटल सर्च की स्वीकृति के बारे में उपयुक्त खंड पैनल अधिवक्ता द्वारा रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए। इस तरह के विचार के लिए अनुमोदन सामान्य स्वीकृति प्राधिकरण से एक स्तर ऊपर के प्राधिकरण से प्राप्त किया जाना चाहिए।

छ) इस नीति को बैंक के अन्य दस्तावेजों जैसे क्रेडिट नीति, मैनुअल, मास्टर परिपत्र आदि के साथ पढ़ा जाना चाहिए। उत्पाद स्तर पर छूट, यदि कोई हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त और अनुमोदित हो, तो वह उस विशिष्ट उत्पाद के लिए मान्य होगी।

ज) एमएसएमई वित्त के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए उभरते मूल्यांकन मॉडल जैसे डिजिटल ऋण (डिजिटल डेटा फुटप्रिंट आधारित मॉडल सहित), कैश फ्लो आधारित ऋण मॉडल, वैकल्पिक डेटा आधार मूल्यांकन पद्धतियों को भी उत्पाद स्तर पर लागू किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसी विशिष्ट स्वीकृतियाँ उत्पाद अनुमोदन के दौरान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

झ) एमएसएमई मंत्रालय/भारत सरकार/आरबीआई/डीएफएस द्वारा जारी एमएसएमई ऋण से संबंधित दिशा-निर्देश या सीजीटीएमएसई/एनसीजीटीसी द्वारा जारी गारंटी योजना आशोधन निकाय द्वारा अधिसूचना पर प्रभावी होंगे। इस तरह के दिशा-निर्देश वर्ष के दौरान प्रसारित किए जाएंगे और नीति की अगली समीक्षा के दौरान उन्हें शामिल किये जायेंगे।

एमएसएमई नीति का प्रदर्शन : व्यापक प्रसार और आसान पहुंच के लिए, समीक्षा की गई एमएसएमई नीति दिशानिर्देश बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे और एफजीएमओ/आंचलिक कार्यालिक के माध्यम से शाखाओं में प्रसारित किए जाएंगे।

समाप्ति खंड : बैंक की एमएसएमई नीति अगली समीक्षा तक लागू रहेगी। नीति की समीक्षा वार्षिक रूप से या बैंक की आवश्यकतानुसार पहले भी की जाएगी।